UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 26.11.2024

गैंग्स्टर एक्ट से सम्बन्धित गैंग सदस्य विनय दुबे उर्फ सोनू द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी स्वयं व अपने परिजनों के नाम सम्पत्ति कीमत करीब "दो करोड़ पचास लाख चौसठ हजार नौ सौ अट्ठानवे रुपये" को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैंग्स्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **ऐश्वर्या उपाध्याय** के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली फर्रुखाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 899/2021 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 बनाम अनुपम दुबे पुत्र स्व0 महेशचन्द्र दुबे निवासी मो0 कसरट्टा कोतवाली फतेहगढ़ मूल निवासी ग्राम सहसपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद आदि 10 नफर की विवेचना श्री बलराज भाटी थानाध्यक्ष थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गैंगलीडर अनुपम दुबे व उसका भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन अपने साथियों 1.अभिषेक रस्तोगी उर्फ सोनू रस्तोगी पुत्र पन्ना लाल रस्तोगी नि0 वृन्दावन गली थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फर्रुखाबाद, 2.पंकज रस्तोगी उर्फ बंशी रस्तोगी पुत्र पन्नालाल रस्तोगी नि0 वृन्दावन गली थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जि0 फर्रुखाबाद, 3.विनय दुबे उर्फ सोनू पुत्र स्व0 उमेशचन्द्र दुबे निवासी मोहल्ला नवाब न्यामत खाँ कोत0 फर्रुखाबाद जनपद फर्रुखाबाद, 4.संदीप पाठक उर्फ अक्कू पाठक पुत्र सत्य प्रभाकर पाठक निवासी बागकूंचा महावीरगंज रस्तोगी धर्मशाला कोत0 फर्रुखाबाद, 5.गौरव गुप्ता पुत्र हरिबाबू गुप्ता निवासी चूनावाली गली कोत0 फर्रुखाबाद, 6.देवेन्द्र मिश्रा उर्फ डब्बू मिश्रा पुत्र काशीनाथ मिश्रा निवासी कटरा बू अली खाँ कोतवाली फर्रुखाबाद, 7.अभिषेक उर्फ अभि दुबे पुत्र श्री बृजेश कुमार दुबे निवासी मोहल्ला पेरे स्याम् खाँ निकट पैराट पैलेस आई0टी0आई0 चौराहा थाना कोतवाली फर्रुखाबाद, 8.संदीप दुबे पुत्र नरेश दुबे निवासी पेरे स्याम् खाँ निकट पैराट पैलेस कोतवाली फर्रुखाबाद के साथ मिलकर अपने आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु समाजविरोधी क्रिया कलाप करते हुए विगत कई वर्षों से गिरोह बनाकर लगातार अपराधिक गतिविधियो में लिप्त रहकर अपने स्वार्थ के लिए अपराध कारित करते रहे हैं। इस गिरोह का समाज में इतना आतंक एवं भय व्याप्त है कि जनता का कोई व्यक्ति इनके खिलाफ सूचना या गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। यह गैंग अपराधिक गतिविधियों सहित समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त है तथा आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु अवैध शस्त्रों से लैस होकर, घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से फायर करना, हत्या का प्रयत्न करना व हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित कर, दहशत फैलाकर रंगदारी के रूप में धन की मांग कर, अवैध धन के लिए वसूली के लिए आपराधिक षड्यंत्र व गंभीर प्रकृति के अपराध कारित करके अवैध कृत्यों एवं अपराधों से अर्जित किये गये अवैध धन चल अचल सम्पत्ति अपने साथी व परिवारीजन के नाम एकत्रित की है, जबकि अभियुक्त विनय दुबे उर्फ सोनू उपरोक्त व उसके परिवारीजन की आय का कोई वैध स्रोत नहीं है। राज्य स्तरीय माफिया गैंगलीडर अनुपम दुबे के सह अभियुक्त विनय दुबे उपरोक्त की अवैध चल अचल सम्पत्ति को कुर्क किये जाने हेतु विवेचनाधिकारी श्री बलराज भाटी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में माननीय जिला

मजिस्ट्रेट महोदय फर्रूखाबाद ने अपने आदेश वाद सं0 30/2024 दिनांकित 22.11.2024 के द्वारा निम्नांकित सूची में अभियुक्त विनय दुबे उर्फ सोनू व उसके परिवारीजन के नाम पंजीकृत अवैध चल अचल सम्पत्तियों को गैंग्स्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किये जाने के लिये आदेशित किया गया।

जिसके क्रम में आज दिनांक 26.11.2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ महोदय **श्री आलोक प्रियदर्शी** तथा कुर्की की कार्यवाही सम्पादित कराने हेतु प्रशासन द्वारा नियुक्त **प्रशासक श्रद्धा पाण्डेय तहसीलदार सदर एवं क्षेत्राधिकारी नगर ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में** थानाध्यक्ष थाना मऊदरवाजा, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली फर्रूखाबाद मय हमराह फोर्स के सूची में अंकित भूखण्डों पर जाकर नियमानुसार कुर्की आदेश की उदघोषणा करते हुये डुगडुगी पिटवाकर नोटिस चस्पा किये गये तथा सील की कार्यवाही करते हुये धारा 14(1) गैंग्स्टर एक्ट (कुर्की) की कार्यवाही सम्पादित करते हुये अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

अचल सम्पत्ति

क्र0 सं0	भू/भवन स्वामी का नाम पता	भू / मकान विक्रेता का नाम पता व उस समय सम्पत्ति की सरकारी कीमत	गाटा सं0 व स्थित भूमि	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	विलेख में दी गयी सम्पत्ति का मूल्यांकन वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार	वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार मूल्यांकन
01	रेनू दुबे पत्नी विनय दुबे एडवोकेट नि0 4/1 नवाब न्यामत खाँ पश्चिम फर्रूखाबाद मो0नं0 9415146643	अवधेश सिंह पुत्र स्व0 जदुनाथ सिंह नि0ग्रा0 कन्हू याकूबपुर पर0 श0पू0 जिला फर्रूखाबाद मो0नं0 8735023438	लेखपत्र सं0 9269 दिनांक 17.07.2021 स्थित ग्राम कन्हूयाकूबपुर	209.25 वर्गमीटर	3,91,300	**44,80,000**

02	विनय दुबे पुत्र स्व0 उमेश चन्द्र दुबे नि0 4/1 नवाब न्यामत खाँ पश्चिम फर्रूखाबाद	1.श्रीमती जमीला बेगम पत्नी स्व0 यूसुफ खाँ, 2.शोएब, 3.शानू, 4.जावेद पुत्रगण यूसुफ खाँ नि0गण मो0 खटकपुरा सिद्दीकी फर्रू0 मो0नं0 8090328928	लेखपत्र सं0 14418 दिनांक 05.12.2018 स्थित मो0 खटकरपुरा इज्जत खाँ	40.41 वर्गमीटर	2,93,380	**14,20,000**
03	विनय दुबे पुत्र स्व0 उमेश चन्द्र दुबे नि0 4/1 नवाब न्यामत खाँ पश्चिम फर्रूखाबाद	शाहनबाज उर्फ शहनाज पुत्र श्री नन्हे खाँ उर्फ नन्हे मियां नि0 हाल रकाबगंज खुर्द फर्रूखाबाद मो0नं0 7505867942	लेखपत्र सं0 2394 दिनांक 24.02.2018 स्थित मो0 रकाबगंज खुर्द	15.345 वर्गमीटर	6,53,490	**32,00,000**
04	विनय दुबे पुत्र स्व0 उमेश चन्द्र दुबे नि0 4/1 नवाब न्यामत खाँ पश्चिम फर्रूखाबाद	अवधेश सिंह पुत्र स्व0 जदुनाथ सिंह नि0ग्रा0 कन्हू याकूबपुर पर0 श0पू0 जिला फर्रूखाबाद मो0नं0 8735023438	लेखपत्र सं0 9234 दिनांक 16.07.2021 स्थित ग्राम कन्हूयाकूबपुर	0.2845 हेक्टेयर	10,81,100	**24,70,000**
05	विनय दुबे पुत्र स्व0 उमेश चन्द्र दुबे नि0 4/1 नवाब न्यामत खाँ पश्चिम फर्रूखाबाद	हरिशंकर व सुनील कुमार पुत्रगण देशराज व श्रीमती देवी पत्नी स्व0 देशराज नि0गण 3/22 मो0 दरीबा पश्चिम फर्रूखाबाद मो0नं0 9554425332	लेखपत्र सं0 8130 दिनांक 25.07.2019 स्थित मो0 नाला मछरट्टा उर्फ लोहाई रोड	23.94 वर्गमीटर	32,93,530	**77,00,000**
06	विनय दुबे पुत्र स्व0 उमेश चन्द्र दुबे नि0 4/1 नवाब न्यामत खाँ पश्चिम फर्रूखाबाद	रामकिशोर पुत्र स्व0 कनौजीलाल निवासी 4/126 मो0 पलरिया फर्रूखाबाद मो0नं0 9984891337 हाल पता 99 आई प्रीमियर नगर बैंक कालोनी अलीगढ़	लेखपत्र सं0 11519 दिनांक 19.10.2020 स्थित मो0 पलरिया भवन सं0 4/126	84.86 वर्गमीटर	11,34,000	**25,50,000**
07	रेनू दुबे पत्नी विनय दुबे एडवोकेट नि0 4/1 नवाब न्यामत खाँ पश्चिम फर्रूखाबाद	मानक चन्द्र पुत्र स्व0 राधेश्याम सक्सेना नि0 4/105 मो0 पल्ला तालाब पश्चिम फर्रूखाबाद मो0नं0 6306226984	लेखपत्र सं0 2173 दिनांक 15.02.2019 स्थित मो0 पल्ला तालाब पश्चिम	16.74 वर्गमीटर	3,32,880	**8,20,000**
08	रेनू दुबे पत्नी विनय दुबे एडवोकेट नि0 4/1 नवाब न्यामत खाँ पश्चिम फर्रूखाबाद, 2.मीना पाठक पत्नी रामजी लाल पाठक निवासी 5/124 नितगंजा दक्षिण परगना पहाड़ा फर्रूखाबाद	1.मनमोहन पाठक पुत्र स्व0 स्वरूप नारायन पाठक, 2.प्रतिभा पाठक पत्नी कमलेश चन्द्र, 3.सत्यम पुत्र कमलेश चन्द्र, 4.मेघा पुत्री कमलेश चन्द्र नि0गण मो0 नितगंजा दक्षिण फर्रूखाबाद हाल पता आरजेड 732 गली नं0 04 मेन सागारपुर दक्षिण पश्चिम दिल्ली	लेखपत्र सं0 1238 दिनांक 31.01.2018 स्थित मो0 नितगंजा दक्षिण	46.12 वर्गमीटर	8,92,880	**24,00,000**

कुल योग	80,72,560/- (अस्सी लाख बहात्तर हजार पाँच सौ साठ) रुपये	02,50,40,000/- (दो करोड़ पचास लाख चालीस हजार) रुपये

चल सम्पत्ति

क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम	वाहन नम्बर	वाहन का प्रकार	वर्तमान मूल्यांकन
01	विनय दुबे उर्फ सोनू पुत्र उमेशचन्द्र	UP 76 R 9869	BAJAJ PULSAR	24,998/-

ज्ञातव्य हो कि उपरोक्त अभियोग में जब्तीकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत शासन द्वारा चिह्नित राज्य स्तरीय माफिया गैंगलीडर अभियुक्त अनुपम दुबे व उसके गैंग के सदस्यों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल अचल सम्पत्तियाँ, जो अभियुक्तगणों द्वारा स्वयं व अपने परिजनों के नाम से एकत्र/अर्जित की गयी थीं, जिनकी कीमत करीब **1,13,18,13,479/- रुपये (एक सो तेरह करोड़, अट्ठारह लाख, तेरह हजार, चार सो उन्नयासी रुपये)** है, को कुर्क किया जा चुका है तथा आज दिनांक 26.11.2024 को राज्य स्तरीय माफिया गैंगलीडर अनुपम दुबे के सहयोगी एवं मु0अ0सं0 899/2021 धारा 3(1) गैंग्स्टर एक्ट में सह अभियुक्त विनय दुबे उर्फ सोनू उपरोक्त द्वारा अपने व अपने परिवारीजनों के नाम आपराधिक कृत्यो से अर्जित की गयी अवैध चल अचल सम्पत्तियों (उपरोक्त सूचियों के अनुसार), जिसकी वर्तमान कीमत **02,50,64,998/- (दो करोड़ पचास लाख चौसठ हजार नौ सौ अट्ठानवे)** रुपये है, की थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा कुर्की की कार्यवाही करायी गयी। उपरोक्त गैंग के विरुद्ध अब तक कुल **1,15,68,78,477/- (एक अरब पन्द्रह करोड़ अड़सठ लाख अटहत्तर हजार चार सौ सतहत्तर) रुपये** की सम्पत्ति कुर्क करायी जा चुकी है। फतेहगढ़ पुलिस द्वारा राज्य स्तरीय माफिया अनुपम दुबे उपरोक्त व उसके गैंग के विरुद्ध लगातार की जा रही कार्यवाही से जनता में पुलिस का इकबाल बुलन्द हुआ है।

कुर्की की कार्यवाही में लगा फोर्स:

थाना मऊदरवाजा से लगा पुलिस बल:-

1. थानाध्यक्ष श्री बलराज भाटी
2. उ0नि0 श्री नितिन कुमार
3. उ0नि0 श्री नर सिंह
4. उ0नि0 श्री लछिमन सिंह
5. का0 सुभाष पाण्डेय
6. का0 रवि कुमार
7. का0 गौरव सिंह
8. का0 विपिन बालियान

थाना कोतवाली फर्रूखाबाद से लगा पुलिस बल:-

प्र0नि0 श्री राजीव पाण्डेय मय हमराह फोर्स

जोनल रिजर्व पुलिस लाइन फतेहगढ़।

प्रभारी जोनल रिजर्व मय हमराह पुलिस बल।

1.5 सेक्शन PAC

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना जहानगंज

दिनांक :- 25.11.2024

थाना जहानगंज पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण को 02 अदद देशी तमंचा व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 03 अभियुक्तगण को दिनांक 24.11.2024 को बहोरिकपुर थाना जहानगंज के पास से 02 अदद देशी तमंचा व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 228/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. राहुल उर्फ रोहित पुत्र श्यामपाल यादव निवासी किनौडी थाना अलीगंज जनपद एटा।
2. राहुल उर्फ लवलेश पुत्र कलक्टर सिंह यादव निवासी ग्राम गनेशपुर थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़
3. अतुल पुत्र रामगोपाल यादव उम्र करीब 24 वर्ष निवासी गदनपुर थाना कोतवाली देहात जनपद एटा।

घटना का विवरण:- दिनांक 24.11.2024 को थाना जहानगंज पुलिस तलाश वाछिंत, गस्त/चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति में मामूर थे तभी मुखबिर ने आकर सूचना दी कि तीन व्यक्ति जिनके पास नाजायज तंमचे व कारतूस है, इस समय मोहम्मदाबाद रोड पर बने दीक्षित खाद भण्डार श्री सागर सिंह सोमवती पीजी कालेज के पास बहोरिकपुर के बेसमेन्ट में है। जो शायद किसी घटना कारित करने की फिराक मे है। मुखबिर खास की सूचना पर थाना जहानगंज पुलिस द्वारा दबिश देकर उक्त 03 अभियुक्तगण 1.राहुल उर्फ रोहित पुत्र श्यामपाल यादव निवासी किनौडी थाना अलीगंज जनपद एटा, 2.राहुल उर्फ लवलेश पुत्र कलक्टर सिंह यादव निवासी ग्राम गनेशपुर थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़, 3.अतुल पुत्र रामगोपाल यादव निवासी गदनपुर थाना कोतवाली देहात जनपद एटा को 02 अदद देशी तमंचा व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 228/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण ने बताया कि हमनें शौकिया तौर पर तंमचा रख लिया था, हमसे गलती हो गयी, भविष्य में दोबारा ऐसा काम नही करुंगा, बाकी सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त राहुल उर्फ रोहित पुत्र श्यामपाल यादव का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 136/24 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना अलीगंज जनपद एटा।
2. मु0अ0सं0 116/2019 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना नयागांव जनपद एटा।
3. मु0अ0सं0 228/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।
4. अन्य थानाजात से जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त राहुल उर्फ लवलेश का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 105/20 धारा 147/148/325/352 थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 228/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।
3. अन्य थानाजात से जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त अतुल पुत्र रामगोपाल यादव का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 228/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।
2. अन्य थानाजात से जानकारी की जा रही है।

बरामगदी का विवरण :-

1. 02 तमंचा व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
2. 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री जितेन्द्र पटेल
2. उ0नि0 श्री रामबाबू सिंह
3. हे0का0 विनय चौहान
4. हे0का0 सतेन्द्र सिंह
5. हे0का0 मंगेश कुमार
6. का0 आशीष वर्मा
7. का0 मंजीत सिंह
8. का0 सुनील कुमार

मीडिया सेल जनपद फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना अमृतपुर

दिनांक :- 25.11.2024

थाना अमृतपुर पुलिस टीम द्वारा धारा-109(1)/352 BNS में नामजद अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर घटना में प्रयुक्त एक लाइसेंसी रायफल मय 02 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर **श्री रवीन्द्र नाथ राय** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अमृतपुर पुलिस टीम ने दिनांक 24.11.2024 को थाना अमृतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-108/24 धारा-109(1)/352 बीएनएस बनाम सुनीलदत्त तिवारी आदि 04 नफर में नामजद अभियुक्त सुनील तिवारी पुत्र यदुनाथ निवासी ग्राम फखरपुर थाना अमृतपुर को गिरफ्तार कर अभियुक्त सुनील तिवारी उपरोक्त की निसांदेही पर अभियुक्त के घर से 01 लाइसेंसी रायफल मय 02 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस बरामद कर अन्तर्गत धारा -109(1)/352 बीएनएस व 25/27/30 आर्म्स एक्ट के तहत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सुनील तिवारी पुत्र यदुनाथ निवासी ग्राम फकरपुर थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- अभियुक्तगणों द्वारा वादी के परिवारीजनो के साथ गाली-गलौज कर अभियुक्त सुनील दत्त द्वारा जान से मारने की नियत से अपनी लाइसेंसी रायफल से फायर कर देने जिससे वादी के पुत्र अनुपम के दाहिने बाजू में गोली लगने से घायल कर देने के सम्बंध में दिनांक 24.11.2024 को थाना अमृतपुर पर मु0अ0सं0-108/24 धारा-109(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त सुनील तिवारी उपरोक्त ने पूछने पर अपने जुर्म से इकबाल किया।

अभियुक्त सुनील तिवारी उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-108/24 धारा-109(1)/352 व बीएनएस 25/27/30 आर्म्स एक्ट थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 लाइसेंसी रायफल
2. 02 खोखा कारतूस
3. 01 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना अमृतपुर पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 मीनेश पचौरी थानाध्यक्ष थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।
2. उ0नि0 विमल कुमार कस्बा चौकी इंचार्ज थाना अमृतपुर।
3. हे0का0 सनोज कुमार।
4. का0 नरेश कुमार।

मीडिया सेल जनपद फतेहगढ़

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना राजेपुर

दिनांक-26.11.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 01 जयसिह पुत्र भगवान सिह 2 शिव सिह पुत्र भगवान सिह निवासीगण बदनपुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0- 0202/2003 वाद स0- 252/2003 धारा- 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***दिनांक 29.11.2024 को मा0 न्यायालय गैंगस्टर एक्ट कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिध्द कर 06-06 वर्ष का प्रत्येक को कारावास व 10-10 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

एडीजीसी श्री शैलेश कुमार सिंह

कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 राजेश कुमार

पैरोकार का0 संजीव कुमार

आदेश कक्ष

Homo phones